(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1035–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–3–17 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 42/अ–12/2016–17.

1– दिलीप बच्चानी आत्मज ताराचंद बच्चानी
निवासी 28–ए, निशान्त कॉलौनी
74 बंगले, भोपाल

2– आशीष श्रीवास्तव आत्मज एम.के. वर्मा
निवासी 903, अनुकम्पा कॉम्पलेक्स
कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल
पार्टनर्स–आधार रियल्टी
कार्यालय 248, महाबली नगर
कोलार रोड, भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती नीलोफर पत्नी स्व. मो0 यामीन खां
निवासी 46 सईदिया स्कूल रोड
इतवारा, भोपाल .....अनावेदिका

श्री डी.डी. मेघानी, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/1/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा ग्राम बैरागढ़ चीचली स्थित उसके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 298 रकबा 0.100 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक, रातीबढ़ तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 42/अ–12/2016–17 दर्ज कर दिनांक 8–3–17 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष दिनांक 7–3–2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रकरण में संलग्न नहीं कर राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक कमांक 1 द्वारा सीमांकन के समय इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि दिनांक 8–3–17 को उसे व्यवहार न्यायालय में उपस्थित होना है, अतः वह सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सकता । तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई और न ही सूचना सम्बन्धी कोई प्रमाण प्रकरण में संलग्न है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पड़ोसी मेड़िया कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, जबकि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत पड़ोसी कृषकों को सूचना देना आवश्यक प्रावधान है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकाशन के माध्यम से सूचना दी गई है, जबकि राजस्व निरीक्षक के पास इस प्रकार का कोई फण्ड नहीं है कि वह शासकीय राशि से प्रकाशन द्वारा सूचना पत्र जारी करे । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आदेश पत्रिका में उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर नहीं हैं ।

तर्कों के समर्थन में 1998 आर.एन. 106 (उच्च न्यायालय), 2014 आर.एन. 69 एवं 2014 आर.एन. 259 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक कमांक 1 की ओर से ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वह व्यवहार न्यायालय में उपस्थित होने के कारण सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सकता ।

(2) सूचना पत्र विधिवत तरीके से चस्पा किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रकाशन भी कराया गया है और प्रकाशन कराने से सभी कानूनी आवश्कतायें पूरी हो जाती हैं । स्पष्ट है कि विधिवत आवेदक को सीमांकन कार्यवाही की जानकारी थी ।

(3) आशीष श्रीवास्तव को सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ, गलत है। आशीष श्रीवास्तव मेरे पड़ोसी कृषक नहीं है और आवेदक तथा आशीष श्रीवास्तव आपस में पार्टनर हैं, इसलिए समस्त जानकारी दोनों को थी ।

(4) सीमांकन में आवेदक कमांक 1 द्वारा आपत्ति करने से स्पष्ट है कि आवेदक कमांक 1 सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित था ।

(5) राजस्व निरीक्षक द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से सूचना देने में पूर्णतः वैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(6) जब प्रकाशन किया गया तो सभी पक्षकारों के लिए यह सूचना थी और प्रकाशन के माध्यम से यह सूचना वैधानिक कहलाती है, इसलिए यह कहना गलत है कि दिलीप बच्चानी को वैधानिक सूचना सीमांकन की नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को व्यक्तिशः सूचना पत्र की तामीली कराये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है, जबकि अनावेदिका की भूमि पर आवेदक दिलीप बच्चानी का अवैध कब्जा पाया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदक पक्ष हितबद्ध पक्षकार हैं, अतः राजस्व निरीक्षक को आवेदकगण पर विधिवत सूचना पत्र की तामीली कराई जाकर, उनकी उपस्थिति में सीमांकन किया जाना चाहिए था । इस संबंध में 1998 आर.एन. 106 सेंधवा क्लब तथा एक अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्याय सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

''धारा 129–सीमांकन–हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।''

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–17 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर